सुबोध कुमार जायसवाल एवं अन्य

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 1776/2008)

5 मार्च, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और एस. एच. कपाडिया, जे. जे.]

सेवा नियम - पदोन्नति द्वारा नियुक्ति - पुलिस उपाधीक्षक के रूप में पुष्टि प्रभावित होने की तिथि 1987 आदेश दिनांकित 1989 द्वारा - 1991 में आई. पी. एस. के रूप में पदोन्नत - वर्ष 1994 में, अधिकारी ने दावा किया कि 1988 की रिक्तियों की पदोन्नति के लिए विचार किया जावे एवं वर्ष 1987 की जगह वर्ष 1984 को आवंटन वर्ष माना जावे- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दावे को देरी और कमियों के आधार पर खारिज कर दिया गया-रिट याचिका में, उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण के समक्ष याचिका दायर करने में देरी को माफ करते हुए दावा मंजूर किया गया- अवमानना की आशंका के कारण, राज्य ने अधिकारी को संबंधित वर्ष के लिए वरिष्ठता सूची तैयार किए बिना वर्ष 1984 को आवंटन वर्ष मानते हुए अधिकारी को पदोन्नत कर दिया- वर्ष 1985 की सीधी भर्ती से नियुक्त पक्षकार के रूप में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए- निर्धारित- उच्च न्यायालय का आदेश पोषणीय नही है- आदेश असंगत है- देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था- वर्षवार वरिष्ठता सूची तैयार करने की सामान्य प्रक्रिया को अनदेखा किया गया- संबंधित वर्षों के लिए वर्षवार वरिष्ठता सूचियाँ तैयार करने और फिर अधिकारी की पात्रता निर्धारित करने के निर्देश दिये गये।

प्रत्यर्थी संख्या 4 को वर्ष 1997 में पुलिस उपाधीक्षक (डी.एस.पी.) नियुक्त किया गया था। वर्ष 1979 में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी)। भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5 (2) के तीसरे परन्तुक के संदर्भ मे दिनांक 08.03.1991 को उनको आई. पी. एस. में पदोन्नत किया गया। आई. पी. एस. के रूप में उनके आवंटन का वर्ष 1987 दिया गया था, यानी वह वर्ष जिसमें उनकी डी.एस.पी. के रूप में पुष्टि हुई थी। प्रत्यर्थी संख्या 4 ने एक अभ्यावेदन दिया कि वर्ष 1987 के बजाय वर्ष 1984 को उनका आवंटन वर्ष माना जावे एवं उन्हे वर्ष 1988 में आई.पी.एस. के रूप में पदोन्नति द्वारा नियुक्त माना जावे क्योंकि वह उस दिनांक को पात्र हो गये थे। हालांकि, उन्होंने वर्ष 1988 में पदोन्नति के विचार के लिये कोई कार्यवाही नही की थी। उन्होने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसे देरी और कमियों के आधार पर खारिज कर दिया गया था क्योंकि प्रत्यर्थी सं. 4 ने पहली बार वर्ष 1994 में अभ्यावेदन किया था। पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी गई। रिट याचिका को अधिकरण के समक्ष आने में देरी को माफ करते हुए अनुमति दी गई व अधिकारियो को यह निर्देश दिया गया कि वर्ष 1987 को प्रत्यर्थी सं. 4 के आवंटन वर्ष के रूप में पुनर्निधारित किया जावे क्योकि वह वर्ष 1988 की रिक्तियो के लिये विचार करने के पात्र थे। प्रत्यर्थी सं. 4 द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई और अवमानना की आशंका के कारण राज्य ने वर्ष 1988 के लिए वरिष्ठता सूची तैयार किए बिना उसके आवंटन वर्ष को 1984 में बदलकर उसको वर्ष 1985 की सीधी भर्ती से नियुक्त अपीलार्थी से उपर मानते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू किया। अतः अपीलार्थी द्वारा अपील दाखिल करने की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात त्वरित अपीलो को प्रस्तुत किया गया क्योंकि वे उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही थे।

अपीलों का निपटारा करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

उच्च न्यायालय ने निर्णय में असंगत निर्देश दियेः- पहला, वर्ष 1987 को आवंटन वर्ष मानना और प्रत्यर्थी सं. 4 के मामले पर विचार करना। दूसरा, इस निष्कर्ष पर आना कि प्रत्यर्थी सं. 4 पदोन्नति का पात्र था। व्यावहारिक रूप से अधिकरण के समक्ष विलंबित दृष्टिकोण के लिये कोई स्पष्टीकरण नही था और उच्च न्यायालय के निर्देश के कारण वर्षवार वरिष्ठता सूची तैयार करने की सामान्य प्रक्रिया को अनदेखा कर दिया गया था। केन्द्रीय सरकार को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित वर्षों के लिये वर्षवार सूचियां तैयार करें और प्रत्यर्थी सं. 4 की पात्रता निर्धारित करें और उस संबंध में निर्णय लें।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 1776/2008

याचिका सं. 2987/2002 में बाॅम्बे उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 30.04.2004 एवं 25.01.2005 से।

मय

सिविल अपील संख्या 1777/2008

याचिकाकर्तागण के लिये - के.के. राय, पी.पी. राव, एस.के. पाण्डे, एस.के. सिंह, गोपाल प्रसाद

प्रत्यर्थीगण के लिये - ए.शर्मा, एएसजी, वी.ए. मोहता, महावीर सिंह, नितिन एस. ताम्बवेकर, बी.एस.सई, के. राजीव, सुषमा सुरी, बीनू तामता, रवीन्द्र केशवरव अधसुरे, निखिल जैन और अजय पाल

न्यायाधिपति डॉ. अरिजीत पसायत द्वारा न्यायालय का निर्णय पारित किया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई.

2. बॉम्बे हाई कोर्ट की खण्डपीठ द्वारा स्वीकृत रिट याचिका गुलाबराव, धर्मू, पोल, प्रत्यर्थी सं. 4 संबंधित अपील एस.एल.पी. (सी) सं. 12364/2006 और श्री सुरेश ए. कक्कड, प्रत्यर्थी सं. 4 संबंधित अपील एस.एल.पी. (सी) सं. 1178/2007 में पारित आदेशो को चुनौती इन अपीलों में दी गई।

3. तथ्यात्मक स्थिति का एक संक्षिप्त संदर्भ पर्याप्त होगा। एसएलपी (सी) संख्या 12364/2006 से संबंधित अपील में प्राप्त स्थिति को नोट किया गया है क्योंकि तथ्यात्मक परिदृश्य दोनों अपीलों में एक समान है।

18.4.1979 को, प्रत्यर्थी संख्या 4 को प्रशिक्षण, व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करने और कुछ विषयों में परीक्षण उत्तीर्ण करने की शर्त पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अपीलकर्ताओं के अनुसार, इन शर्तों को पूरा करने पर ही उन्हें नियमित आधार पर डिप्टी एसपी/एसीपी के कैडर में कैडर पद पर नियुक्त किया जाना था। दूसरे शब्दों में यह कहा गया है कि परिवीक्षा संतोषजनक ढंग से पूरी होने पर, प्रत्यर्थी नंबर 4 को कैडर पद पर नियुक्त किया गया था और महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग के आदेश दिनांक 01.02.1982 के संदर्भ में डिप्टी एस.पी/एसीपी में नियमित आधार पर दिनांक 03.08.1981 से कार्य करना शुरू कर दिया। अपीलकर्ताओं को सीधे भारतीय पुलिस सेवा (संक्षेप में आईपीएस) में भर्ती किया गया था और आवंटन वर्ष 1985 के साथ महाराष्ट्र राज्य को आवंटित किया गया था। आदेश दिनांक 13.4.1989 द्वारा, प्रत्यर्थी संख्या 4 को 31.12.1987 से डीएसपी के रूप में नियमित की गई थी। अपीलकर्ताओं के अनुसार, उनकी नियुक्ति में देरी, यदि कोई हो, को कोई चुनौती नहीं दी गई। 3.8.1989 को, लागू विनियमों के विनियम 5 (2) के तीसरे प्रावधान, यानी भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम,

1955 (संक्षेप में विनियमन) के संदर्भ में, वह पदोन्नति के लिए विचार के लिए पात्र बन गए। राज्य कैडर में डीएसपी के पद पर आठ वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने पर आई.पी.एस. 26.2.1990 को, चयन समिति की बैठक हुई और उन उम्मीदवारों पर विचार किया गया जो मूल डिप्टी एसपी थे और जो प्रत्यर्थी संख्या 4 सहित 1.1.1990 को पात्र थे। 8.3.1991 को, प्रत्यर्थी नंबर 4 को श्री एसए खोपड़े सहित सात अन्य लोगों के साथ आईपीएस में पदोन्नत किया गया था। वे सभी उन अपीलकर्ताओं के कनिष्ठ बन गए जिनकी नियुक्ति कम से कम छह साल पहले हुई थी। प्रत्यर्थी सं. 4 ने वर्ष 1988 में भी पदोन्नति हेतु अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। दिनांक 09.02.1993 को, उन्हें और उनके बैच के अन्य पदोन्नतियों को दिनांक 08.03.1992 में आईपीएस में पुष्टि की गई। उन्हें आईपीएस में आवंटन का वर्ष 1987 दिया गया था। दिनांक 27.7.1994 को, प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा उन्हें वर्ष 1988 में ही नियुक्त मानकर 1984 को आवंटन वर्ष मानने के लिए एक अभ्यावेदन दिया गया था। इसके बाद, जनवरी, 1995 में एक और अभ्यावेदन दिया था। ओ.ए. नं. 807/1996 केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुंबई बेंच (संक्षेप में, अधिकरण) के समक्ष दायर किया था और इस आधार पर आईपीएस में आवंटन के उचित वर्ष के लिए प्रार्थना की गई थी कि यद्यपि 1988 की रिक्तियों के लिए पात्र था किंतु उन पर विचार नहीं किया गया। भारत संघ और संघ लोक सेवा आयोग (संक्षेप में, यूपीएससी) ने प्रत्यर्थी नंबर 4 के दावे का विरोध किया। अधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ ओए को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ओए समय और कमियों से बाधित था और देरी से पीड़ित था क्योंकि प्रत्यर्थी नंबर 4 ने आवंटन के वर्ष के लिए अपने कथित दावे के काफी बाद 27.7.1994 को पहली बार प्रतिनिधित्व किया था जबकि दावा वर्ष 1988 का था। यह माना गया कि यदि उनके दावों को अनुमति दी गई, तो यह लगभग आठ वर्षों के लिए तय स्थिति को अस्थिर कर देगा। प्रत्यर्थी नंबर 4 द्वारा दायर समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई।

अधिकरण के निर्णयों को चुनौती देते हुए प्रत्यर्थी नंबर 4 द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी। अधिकरण के पास जाने में हुई देरी को माफ करते हुए इसकी अनुमति दी गई और यह निर्देश दिया गया कि आधिकारिक उत्तरदाताओं को अपने आवंटन के वर्ष को 1987 के रूप में फिर से निर्धारित करना था (जिसे बाद में 1988 में सुधार किया गया था)। यह भी माना गया कि यदि प्रत्यर्थी नंबर 4 1988 में रिक्तियों के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र था, तो उसकी वरिष्ठता उसे वर्ष 1988 में पदोन्नति का हकदार मानते हुए निर्धारित की जाएगी और उसके आवंटन का वर्ष तदनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी नंबर 4 द्वारा एक अवमानना याचिका (सीपीनंबर 10/2006) दायर की गई थी और भारत संघ ने वर्ष 1988 के लिए कोई वरिष्ठता सूची तैयार किए बिना उनके आवंटन के वर्ष को 1987 से 1984 में बदलकर उच्च न्यायालय के फैसले को लागू कर दिया था। वह उन अपीलकर्ताओं से ऊपर थे जो वर्ष 1985 की सीधी भर्ती के थे। यह अवमानना की आशंका के तहत किया गया था। उच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका का निपटारा कर दिया क्योंकि फैसले की अनुपालन हो चुकी थी। चूंकि अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे, इसलिए एसएलपी दायर करने की अनुमति प्राप्त करने के बाद, विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गईं।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पीपी राव ने मुख्य रूप से उच्च न्यायालय के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी कि अपीलकर्ता जो उच्च न्यायालय के आदेश से सीधे प्रभावित होंगे, वे उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे। किसी भी स्थिति में, अधिकरण में जाने में देरी को माफ करने के लिए कोई आवेदन भी नहीं किया गया था। कथित तौर पर 1988 से संबंधित एक पुराना दावा 1994 में पहली बार उठाया गया था। उच्च न्यायालय यह निर्देश नहीं दे सकता था कि आधिकारिक उत्तरदाताओं को प्रत्यर्थी नंबर 4 की वरिष्ठता का निर्धारण उसके आवंटन के वर्ष को 1988 मानते हुए करना था और वह वर्ष 1988 में होने वाली रिक्तियों में पदोन्नत किये

जाने का हकदार था। आगे यह तर्क दिया गया कि यदि अपीलार्थीगण को पक्षकारो के रूप में शामिल किया गया होता, तो वे प्रत्यर्थी संख्या 4 के दावे में गड़बड़ी की ओर इशारा करते और किस तरह से वह पदोन्नति के लिये विचार किये जाने का हकदार नही है। हालाँकि, प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थियों के खिलाफ किसी प्रत्यक्ष राहत का दावा नहीं किया गया था और इसलिए, उन्हें पक्षकार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त, यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि जब प्रत्यर्थी नंबर 4 ने देखा कि उसके दावे को बिना किसी वैध कारण के नजरअंदाज कर दिया, तो उसने प्रतिनिधित्व किया। भारत संघ के रुख से, ऐसा प्रतीत होता है कि यदि किसी वर्ष चयन नहीं हुआ, तो संबंधित वर्षों के लिए तीन अलग-अलग सूचियाँ तैयार करना उचित कदम था, जो कि सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जाहिर तौर पर उच्च न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर ऐसा नहीं किया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका पात्रता और पदोन्नति दोनों से संबंधित थी।

5. जैसा कि अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने बताया है, आईपीएस में नियुक्ति के लिए दो चैनल हैं, एक सेवा उम्मीदवारों से पदोन्नति द्वारा और दूसरा सीधी भर्ती द्वारा। हाई कोर्ट का निर्देश कुछ हद तक भ्रमित करने वाला है, जो निम्नानुसार पढा जाना चाहियेः-

> ‘‘13. भारत संघ व अन्य बनाम विपिनचंद्र हीरालाल शाह (1997) सुप्रीम कोर्ट केस (एल एंड एस) 41, और देवेन्द्र नारायण सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य एआईआर 1997 एससी 595, हम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उपरोक्त दोनों आदेशों को रद्द करते हैं और हम याचिकाकर्ता के मामले में मानते है कि आवंटन वर्ष 1987 है और वह वर्ष 1988 में होने वाली रिक्तियों में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र है।

हमारा विचार है कि आवंटन के वर्ष में होने वाली रिक्तियां 1987 हाेंगी जिसे भारत सरकार ने याचिकाकर्ता को दिनांक 26.05.1994 को भेजे गये पत्र में दोहराया है। उपरोक्त के आलोक में, प्रत्यर्थी याचिकाकर्ताओं को वर्ष 1988 में होने वाली रिक्तियों में ही पदोन्नति का हकदार मानते हुए याचिकाकर्ता की वरिष्ठता निर्धारित करेंगे और उनके आवंटन/वरिष्ठता का वर्ष तदनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। नियम को तदनुसार हर्जे के साथ पूर्ण बना दिया गया है।"

तत्पश्चात पैरा नं. 13 को निम्न प्रकार संशोधित किया गया थाः-

"उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, विशेष रूप से उपरोक्त दो सर्वोच्च निर्णयों के आलोक में, भारत संघ और अन्य बनाम विपिनचंद्र हीरालाल शाह - (1997) सुप्रीम कोर्ट केस (एल एण्ड एस) 41, और देवेन्द्र नारायण सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य - एआईआर 1997 एससी 595, हम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उपरोक्त दोनो आदेशो को रद्द करते है और हम मानते है कि याचिकाकर्ता के मामले में, वह वर्ष 1988 में होने वाली रिक्तियों में पदोन्नति के लिये विचार किये जाने के लिये पात्र है। उपरोक्त के आलोक में, प्रतिवादी याचिकाकर्ता को वर्ष 1988 में ही होने वाली रिक्तियों में पदोन्नति का हकदार मानते हुए याचिकाकर्ता की वरिष्ठता निर्धरित करेंगे और उसके आवंटन/वरिष्ठता का वर्ष तद्नुसार निर्धारित किया जाना चाहिये। नियम यह है तद्नुसार लागत के साथ निरपेक्ष बना दिया गया।"

6. कुछ असंगत निर्देश दिये गये, पहला था आवंटन का वर्ष 1987 मानना और प्रत्यर्थी नंबर 4 के मामले पर विचार करना। इसके बाद के भाग में यह निष्कर्ष

निकाला गया कि प्रत्यर्थी नंबर 4 पदोन्नति का हकदार है। भारत संघ और महाराष्ट्र राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि यदि सभी पात्र व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाएगा, तो यह असंभव होगा क्योंकि यह ज्ञात नहीं है कि पूरे आदेश में कितने व्यक्ति प्रभावित होंगे। हमने पाया कि किसी और ने इस न्यायालय का रुख नहीं किया है। इसलिए, यह प्रश्न वर्तमान मामले में विचार के लिए सख्ती से नहीं उठ सकता है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने सही तर्क दिया था, अधिकरण के पास देर से पहुंचने के लिए व्यावहारिक रूप से कोई स्पष्टीकरण नहीं था और उच्च न्यायालय के निर्देश के कारण वर्षवार वरिष्ठता सूची तैयार करनी की सामान्य प्रक्रिया को रोक दिया गया था।

7. जो भी हो, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से असंगत है और खारिज किया जाता है। हम केंद्र सरकार को संबंधित वर्षों के लिए वर्ष-वार सूची तैयार करने, प्रत्यर्थी नंबर 4 की पात्रता निर्धारित करने और आज से दो महीने की अवधि के भीतर उस संबंध में निर्णय लेने का निर्देश देते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि केंद्र सरकार, इस अभ्यास को करते समय, वर्तमान निर्णय में उच्च न्यायालय या हमारे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगी। यह पक्षकारों के लिए खुला होगा, यदि उनमें से कोई भी या सभी निर्णय से प्रभावित हैं, तो वे कानून में उपलब्ध उपायों का लाभ उठा सकते हैं। हम उस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करते है।

8. आदेश दिनांक 17.9.2007 द्वारा, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः-

> ‘‘सरकार विशेष अनुमति याचिका के परिणाम के अधीन रिक्तियों को भरने की हकदार होगी।’’

9. यदि उक्त आदेश के अनुसरण में कोई कार्यवाही की गई है, तो यह केंद्र सरकार द्वारा नया निर्णय लिए जाने तक प्रभावी रहेगी। यह दोहराने की जरूरत नहीं है कि यह सुरक्षा देकर हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

10. अपीलों को हर्जे के संबंध में बिना किसी आदेश के तदनुसार निपटाया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी महेन्द्र कुमार ढाबी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।